परिशिष्ट " 1 "

[10/3/2016]

①

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 4954 द्वारा श्री प्रदीप सिंह डंग

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

का.आ.19(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 संशोधन आदेश, 2013 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-1

[धारा 4(3) देखें)]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

1. धारा 4 के अधीन अधिसूचित स्कीम को सभी राज्यों द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" कहा जाएगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) का उल्लेख होगा ।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को इसके पश्चात् "महात्मा गांधी नरेगस" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से संबंधित उक्त स्कीम के किसी निदेश को "महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा. स्की. के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

एम.ए.सिद्दकी
सहायक यंत्री
... राज्य रोजगार गारंटी परिषद

3. स्कीम के सारभाग उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(क) विहित क्वालिटी और स्थायित्व की उत्पादक आस्तियों के सृजन में परिणामस्वरूप मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी के लिए वित्तीय-वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम सौ दिन प्रदान करना ।

(ख) निर्धन के जीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना ;

(ग) सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना ;

(घ) पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना ;

परंतु उक्त उद्देश्य वहां लागू है जहां इस अधिनियम और स्कीम द्वारा या उसके अधीन अधिकथित शर्तों के अध्यधीन वयस्क स्वयं सेवक सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य करना है ।

4.(1) स्कीम निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित होगी जिसे नीचे प्रवर्गीकृत किया गया है :

I. प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण-

(i) पेय जल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूसिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, शैक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य ;

(iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज-1, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण ;

(iv) सिंचाई कुंओं और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरूज्जीवन ।

(v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागबानी तथा ;

(vi) सामान्य भूमि में भूमि विकासकार्य ।

II. प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा 5 में गृहस्थी के लिए)

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना ;

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना ;

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि, का विकास ;

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक ;

(v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना ; और

(vi) मछली शुष्कण यार्ड, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना ;

III. प्रवर्ग-इ : एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैव उर्वरकों और पशु कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म ; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला ;

IV. प्रवर्ग-ई : ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता ;

एम.ए.सिद्दकी
सहायक यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना ; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, का संनिर्माण ;

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण ;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसरंचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चौंवर जीर्णोद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म ;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण ;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण ;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन ;

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव ; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) संकर्म की प्राथमिकता का क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(3) ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय हैं, पुनरावृत्तीय हैं जैसे घास, कंकड़ हटाना, कृषि संक्रियाएं, जो नहीं की जाएंगी ।

5. व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से संबंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी :

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) घुमन्तु जनजाति

(घ) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब

(च) महिला प्रधान वाले कुटुंब

(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब

(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही

(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही

(ञ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात् कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरंभ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा ।

6. राज्य सरकार अन्य सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों के अधीन संकर्मों के अंतिम सुविधा कार्यान्वयन स्तर तक प्रभावी अंतर विभागीय अभिसरण को प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करेगी जिससे कि आस्तियों की गुणवत्ता और उत्पादकता को सुधारा जा सके और पोषणीय रीति में बहुआयामी निर्धनता का साकल्यवादी ढंग से समाधान करने के लिए सक्रिया में लाया जा सके ।

7. पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक क्रमबद्ध प्रतिभागिता योजना अभ्यास होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकथित विस्तृत पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगस्त मास से दिसंबर मास तक चलाया जाएगा । ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले

एन.ए. सहायक यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद